F.No.R.20011/237/2018-Ad.I GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 3 December 2018

To
Dr. Ishwar Sahay Sharma 'Guruji',
Navug Patrakar Vikash Association,
E-14, Sector-I LDA Colony,
Kanpur Road,
Lucknow – 226 012

Subject: Information under RTI Act, 2005

Sir,

I am to refer to your RTI application dated 08.12.2018 addressed to In-charge Public Information Officer, Finance Minister and Under Secretary, Department of Expenditure's OM dated 18.12.2018. So far as Ad.I Section is concerned of which the undersigned is CPIO, the point-wise information is as under:

Point No.1:331 posts

Point No.2: The information sought is not available in the consolidated form

- 2. Your application has also been transferred by RTI Cell, Department of Revenue to other CPIOs of Department of Revenue for providing information concerning them.
- 3. In case you are not satisfied with the reply, you may submit your appeal before the Appellate Authority within 30 days. The name and address of the Appellate Authority is as under:

Dr. B.V.R.C. Purushottam, IAS
Director (Hqrs.)/Appellate Authority
Room No.48/A,
North Block, New Delhi-1
Tel No.2309 2103

Yours faithfully,

Sle _

(Rajinder Kumph)/

Under Secretary to the Govt. of India & CPIÓ

PH: 2309 3277



फा.स.आर20011/237/2018- प्रशा।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

नई दिल्ली, ३। दिसम्बर 2018

सेवा में,

डॉ ईश्वर सहाय शर्मा 'गुरू जी' नवयुग पत्रकार विकास संघ ई-14, सेक्टर- I, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ- 226012

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

मुझे, प्रभारी जन सूचना अधिकारी एवं वित्त मंत्री जी को सम्बोधित आपके दिनांक 08.12.2018 आरटीआई आवेदन और अवर सचिव, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.12.2018 का हवाला देना है। जहां तक इसका संबंध प्रशा.1 अनुभाग से है जिसका सीपीआईओ, अधोहस्ताक्षरी है, बिन्दुवार सूचना नीचे दी जाती है:-

बिन्द् सं. 1 : 331 पद

बिन्दु सं. 2: मांगी गई सूचना समेकित रूप में उपलब्ध नहीं है।

- 2. आपके आवेदन को राजस्व विभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा राजस्व विभाग के अन्य सीपीआईओ को उनसे संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु हस्तांतरित भी किया गया है।
- 3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी अपील, इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पता निम्न् प्रकार से है:

डॉ.बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, आईएएस निदेशक (मुख्यालय)/ अपीलीय प्राधिकारी कमरा सं. 48/ए नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -01 दूरभाष सं. 23092103

काण्या

्राजिन्दरं कुमार)

अवर सचिव एवं सीपीआईओ,

भारत सरकार

दूरभाष: 23093277

2/1/20 mg/